

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
न्यू वेलकिन पब्लिक स्कूल
जटमुझेडा (सदर) मुजफ्फरनगर

पत्रांक/शि0स0/

8860

/2008-09

दिनांक २-३-०९

विषय :- प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजाज्ञा संख्या/107315-06-98-18 (एस)(7)/89 शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ :
दिनांक 10 सितम्बर, 1998 एवं सचिव उ0प्र0 बे0शि0प0, इलाहाबाद के पत्र सं0/बे0शि0प0/सा0-5/78-413/
989-2000 दिनांक 16.04.99 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके आवेदन पर जिला मान्यता समिति
मुजफ्फरनगर की बैठक दिनांक 1.5.11.99 में लिये गये निर्णयानुसार सूच्य है कि आपके विद्यालय को
अस्थायी मान्यता प्राप्त निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

1. मान्यता पत्र निर्गत होने की तिथि से विद्यालय में समस्त अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित रख लिये जायें और अध्यापकों को निर्धारित वेतनक्रम दिया जाये।
2. अध्यापकों को वेतन का भुगतान बैंक में खुले खाते के माध्यम से किये जायें।
3. रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये) विद्यालय प्रबन्धक के पदनाम जमा हों तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पदनाम बंधक हों।
4. समिति रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण यथासम्भव कराते रहें।
5. विद्यालय की दूसरी शाखा न खोली जायें।
6. विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम लागू रखा जाये।
7. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क कदापि न लिया जाये।
8. अध्यापकों का अनुमोदन एक माह के भीतर करा लिया जाये।
9. विद्यालय भवन विद्यालय के नाम एक माह के भीतर करा लिया जाये।
10. 5 वर्ष की अवधि में स्थायी मान्यता लेना अनिवार्य होगा।

यदि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो आपके विद्यालय की अस्थायी मान्यता उसी समय समाप्त कर दी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

(रविदत्त)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

PRINCIPAL
NEW WELKIN PULBIC SCHOOL
Bhona Road, Jat Mujheda (MZN.)

/2008-09

दिनांक : उपरोक्ता

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सदर।

MANAGER

NEW WELKIN PULBIC SCHOOL
Bhona Road, Jat Mujheda (MZN.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

(2)

- 10- विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- 11- उक्त शर्तों में मण्डलीय समिति/राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती गयी है तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(श्रीमती)कमला सिंह चौहान
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर।/
सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।

पृ०सं०: शि०स०/एन०ओ०सी०/ 4729-36

/2010-11 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, 18-पार्क रोड, लखनऊ।
- 3- आयुक्त(अध्यक्ष मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 4- जिलाधिकारी(सदस्य, मण्डलीय समिति) मुजफ्फरनगर।
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक(सदस्य मण्डलीय समिति) मुजफ्फरनगर।
- 6- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- प्रबन्धक, न्यू वैल्किन पब्लिक स्कूल, भोपा रोड, जट्टमुझेडा, मुजफ्फरनगर।
- 8- सम्बन्धित पत्रावली पर।

(श्रीमती)कमला सिंह चौहान
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर।/
सदस्य सचिव, मण्डलीय समिति।

PRINCIPAL

NEW WELKIN PULBIC SCHOOL
Bhopa Road, Jat Mulhera (WZN)

MANAGER

NEW WELKIN PULBIC SCHOOL
Bhopa Road, Jat Mulhera